

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक प.1(63)नविवि / 11 / 2009 / पार्ट

जयपुर दिनांक 28 JUL 2015

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप धारा (2) व सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर विकास न्यास, अलवर क्षेत्र के लिए कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन (Disposal) पर देने के लिए एतद्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन करवाकर प्रकाशित राजपत्र की प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ नगर नियोजक